

**नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र**

**श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में 07.07.2023 को सुबह 11:00 बजे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रके संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।**

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
  - ii. श्री एस.के. राव, अधीक्षक (सीमा शुल्क), नोएडा।
  - iii. श्री चमन लाल, सहायक वि. व्या. म, कार्यालय वि. व्या. म, सीएलए, नई दिल्ली।
  - iv. सुश्री गरिमा मिश्रा, प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा
  - v. श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, नोएडा।
- v. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, (ii) श्री अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, (iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, (iv) श्री प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त और; (v) श्री अनुज दीक्षित, उच्च श्रेणी लिपिक, और अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भी उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- w. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद कार्यसूची में शामिल प्रत्येक मुद्दे पर सिलसिलेवार विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए: -

**मद संख्या 1 दिनांक 01.06.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-**

चूंकि 01.06.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 01.06.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

**मद संख्या 2: नई इकाई की स्थापना हेतु प्रस्ताव:-**

**2(i) मैसर्स डेनसेंटर ए/एस।**

2(i).1 मैसर्स डेनसेंटर ए/एस, डेनमार्क के कानूनों के तहत निगमित कंपनी ने प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकज़ोन IV, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) पर अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में 929.03 वर्गमीटर (10000 वर्गफुट) के निर्मित क्षेत्र पर एक सेवा गतिविधियाँ अर्थात् "मानव संसाधन, वित्त और अन्य सहायता सेवाओं के संबंध में आंकड़ा अभिसंस्करण सेवाएँ (CPC-843), सॉफ्टवेयर परामर्श सहित सूचना प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएँ (CPC-842) और बैंक-ऑफिस संचालन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएँ, कॉल सेंटर सेवाएँ, व्यावसायिक सेवाएँ, पेशेवर सेवाएँ (CPC-866)" की इकाई (शाखा कार्यालय) स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 25879.00 लाख रुपये का निर्यात और 25659.00 लाख रुपये का संचयी निवल विदेशी मुद्रा प्रस्तावित किया है। आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए 100.00 लाख रुपये और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 384.28 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया है। आवेदक ने क्रमशः 120.00 लाख रुपये और 4381.00 लाख रुपये की आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं का भी प्रस्ताव दिया है। आवेदक ने प्रस्तावित स्थान के आवंटन के लिए सह-विकासक मैसर्स अर्थ बिजनेस पार्क एलएलपी द्वारा जारी स्थान का अनंतिम प्रस्ताव दिनांक 19.06.2023 प्रस्तुत किया है।

*सुरेंद्र मलिक*

I/48746/2023

2(i).2 समिति को सूचित किया गया कि प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गई हैं, जिनके बारे में आवेदक को सूचित कर दिया गया है: -

- i. फॉर्म-एफ के पैरा I में कंपनी के डेनमार्क स्थित पंजीकृत कार्यालय का उल्लेख करना आवश्यक है। आवेदक ने पंजीकृत कार्यालय के पते के स्थान पर प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थान का उल्लेख किया है।
- ii. फॉर्म-एफ में कंपनी के पैन कार्ड एनओटीएवी 9999वी का उल्लेख किया गया है। इसलिए, इसकी प्रति जमा करना आवश्यक है।
- iii. आवेदक ने डेनिश बिजनेस अथॉरिटी द्वारा जारी दिनांक 15.06.2023 के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। वहीं, वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (डेनमार्क) की प्रतियां जमा कर दी गई हैं। इससे साबित होता है कि कंपनी ने 2019-20 से पहले निगमन किया था। इसलिए, आवेदक को कंपनी के निगमन प्रमाणपत्र की प्रति जमा करनी होगी। इसके अलावा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी की स्थापना 06.05.1982 को हुई थी और कंपनी के बोर्ड में पांच निदेशक हैं जबकि फॉर्म-एफ में केवल दो निदेशक दिखाए गए हैं।
- iv. सीपीसी संस्करण 2.1 के अनुसार सही सीपीसी कोड दर्शाए जाने चाहिए।
- v. मेसर्स अर्थ बिजनेस पार्क एलएलपी, सह-विकासक द्वारा दिनांक 19.06.2023 को जारी स्थान के अनंतिम प्रस्ताव में इकाई का प्रस्तावित स्थान यानी फर्श का नाम, भवन/टावर संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है।
- vi. क्रमशः 120.00 लाख रुपये और 4381.00 लाख रुपये की प्रस्तावित आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं की अलग सूची, 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार संख्या और विवरण देते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- vii. आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की अलग-अलग सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- viii. फॉर्म-एफ के लिए पैरा XII (ii और iv) के संबंध में उत्तर "हां या नहीं" के रूप में दिया जा सकता है।
- ix. निदेशकों की नियुक्ति के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- x. आयकर विभाग से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2(i).3 समिति ने पाया कि आरबीआई मास्टर सर्कुलर संख्या 7/2015-16 दिनांक 01.07.2015 (30.10.2015 को अद्यतन) के अनुसार, जैसा कि अधिसूचना संख्या फेमा 22 (आर) /आरबी-2016 दिनांक 31 मार्च 2016 द्वारा जारी किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक, गैर-निवासी कंपनियों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में विनिर्माण और सेवा गतिविधियाँ शुरू करने के लिए बीओ स्थापित करने की सामान्य अनुमति देता है, बशर्ते शाखा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करती हो:

- a. ऐसे शाखा कार्यालय उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जहां 100% एफडीआई की अनुमति है;
- b. ऐसे शाखा कार्यालय कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXII का अनुपालन करते हैं; और;
- c. ऐसे शाखा कार्यालय एकल आधार पर कार्य करते हैं।

2(i).4 सुश्री रंजू एवीपी, श्री राजीव चुग, अधिकृत प्रतिनिधि और श्री तेजस्वी आनंद, मेसर्स डैनसेंटर ए/एस के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

सुरेंद्र माली

2(i).5 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन उपरोक्त पैरा 2(i)2 में बताए अनुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के अधीन है।

### **2(ii). मेसर्स सीआरएम सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।**

2(ii).1 मेसर्स सीआरएम सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में चौथी मंजिल, टावर-8 और चौथी मंजिल, टावर-9 पर 7595.84 वर्ग मीटर (81761 वर्ग फुट) के निर्मित क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इकाई सेवा गतिविधियाँ अर्थात "आईटीईएस (वित्तीय लेखा परीक्षा सेवाएँ) (सीपीसी-86221), आईटीईएस (राजस्व लेखा सेवाएँ, वित्तीय संकलन) (सीपीसी-86213), आईटीईएस (राजस्व लेखा सेवाएँ) (सीपीसी-86212), आईटीईएस (राजस्व लेखांकन सेवाएँ अन्य लेखांकन सेवाएँ) (सीपीसी-86219), आईटीईएस (मानव संसाधन सेवाएँ) (सीपीसी-86504), आईटीईएस (अन्य आंकड़ा अभिसंस्करण सेवाएँ) (सीपीसी-86504)" शुरू करेगी। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 8240.00 लाख रुपये के संचयी निवल विदेशी मुद्रा के साथ 9240.00 लाख रुपये के निर्यात का अनुमान लगाया है। आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए 1000.00 लाख रुपये और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 3000.00 लाख रुपये का अनुमानित निवेश आवेदक ने 500.00 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं का भी प्रस्ताव दिया है। आवेदक ने प्रस्तावित स्थान के आवंटन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक द्वारा जारी स्थान का अनंतिम प्रस्ताव दिनांक 23.06.2023 प्रस्तुत किया है।

2(ii).2 समिति को सूचित किया गया कि प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गई हैं: -

- i. 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार संख्या और विवरण देते हुए स्वदेशी इनपुट सेवाओं की अलग-अलग मूल्य-वार सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ii. पर्यावरण नियंत्रण मानदंडों को पूरा करने का वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- iii. श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री अनीश मुकर और श्री विनोद मेहता जैसे निदेशकों की नियुक्ति के लिए फॉर्म-32, डीआईआर-12 की प्रतियाँ और सभी पूर्व निदेशकों की समाप्ति के लिए फॉर्म-32/डीआईआर-12 की प्रतियाँ जमा करना आवश्यक है।
- iv. आयकर विभाग से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- v. आरओसी और आईईसी में इकाई के पंजीकृत कार्यालय पते में अंतर है।
- vi. कंपनी का सीए प्रमाणित शेयरधारिता पैटर्न भी आवश्यक है।
- vii. आयातित वस्तुओं की सूची में कालीन का उल्लेख 1,35,00,000/- रुपये मूल्य के साथ किया गया है जो कि अधिक प्रतीत होता है।
- viii. आवेदक द्वारा उल्लिखित सीपीसी कोड को सीपीसी संस्करण 2.1 को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा दोबारा जांचने/सही ढंग से प्रदान करने की आवश्यकता है।
- ix. निदेशकों के पैन कार्ड की प्रतियाँ जमा करनी होंगी।
- x. पिछले तीन वर्षों की कंपनी की पूरी लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति विवरण की प्रति जमा करना आवश्यक है।

2(ii).3 मेसर्स सीआरएम सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री देवेन्द्र सिंह और उपाध्यक्ष श्री संदीप वहरानी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2(ii).4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन उपरोक्त पैरा 2(ii)2 में बताए अनुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के अधीन है।

### **2(iii). मैसर्स वी स्पिरिट्स इंक.**

2(iii).1 मैसर्स वी स्पिरिट्स इंक ने ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जिला-बुलंदशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन

सुरेंद्र मलिक

I/48746/2023

प्रस्तुत किया है, जिसमें " भंडारण, लेबलिंग के साथ या बिना लेबलिंग, पैकिंग के व्यापार" या बिना किसी प्रसंस्करण के दोबारा पैकिंग, 'प्रतिबंधित' और 'निषिद्ध' वस्तुओं को छोड़कर संलग्न सूची के अनुसार वस्तुओं के लिए पूरी तरह से नॉकड डाउन या सेमी नॉकड डाउन किट की असेंबली" किया जाएगा। आवेदक ने वस्तु विवरण के साथ 4 अंकों के 12 एचएस कोड की सूची संलग्न की है। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 67178.00 लाख रुपये के निर्यात और 42906.00 लाख रुपये के संचयी निवल विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाया। आवेदक ने अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड में 100 वर्ग मीटर (1076 वर्ग फुट) की जगह के लिए सहमति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की, जो एफटीडब्ल्यूजेड विकासक द्वारा दिनांक 16.06.2023 के पत्र के माध्यम से जारी किया गया था।

2(iii).2 प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गई हैं: -

- पंजीकृत साझेदारी विलेख की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 24272.00 लाख रुपये के प्रस्तावित विदेशी मुद्रा व्यय का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2(iii).3 श्री जसकरण सिंह धालीवाल, निदेशक, एम एस मनमीत कौर बेदी, वीपी निगम मामले, और श्री अंशुल भारद्वाज, मेसर्स वी स्पिरिट्स इंक के विशेषाधिकृत लेखापाल अनुमोदन समिति के सामने पेश हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि वी स्पिरिट्स इंक, व्हिस्लर स्पिरिट्स समूह का एक हिस्सा है, जिसके पास खुदरा और थोक शराब क्षेत्र में काम करने का 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने आगे बताया कि प्रस्तावित एफटीडब्ल्यूजेड इकाई का 60% व्यवसाय व्हिस्लर स्पिरिट्स से और 40% व्यवसाय डियाजियो और अन्य से होगा।

2(iii).4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित वस्तुओं के लिए एचएस कोड 1107, 1806, 1905, 2202, 2208 (केवल व्हिस्की) और 2209 के तहत, निर्देश संख्या 49 दिनांक 10.03.2010 के साथ पठित विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को करने के लिए इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को पैरा 2(iii).2 में बताए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन मंजूरी दी। एचएस कोड 2208 (केवल व्हिस्की) के तहत वस्तुओं की मंजूरी इकाई द्वारा किए गए उत्पादन को ध्यान में रखते हुए दी गई है, जिससे देश से विनिर्माण की सुविधा मिल सके। इसके अलावा, आयात और निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' और 'निषिद्ध' किसी भी उत्पाद को अनुमति नहीं दी जाएगी। आवेदक को मेसर्स व्हिस्लर स्पिरिट्स, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इसकी अन्य इकाई के उत्पाद शुल्क लाइसेंस की प्रति जमा करनी होगी। अनुमोदन निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन है:-

- ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (वि.व्या.नी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा सख्ती से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा, जिसे निर्देश संख्या 49 दिनांक 10.03.2010 और विषय पर अन्य निर्देशों/आदेशों के साथ पढ़ा जाएगा।
- एचएस कोड 2208 के तहत माल की कोई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधानों के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में किसी भी बिक्री सहित सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
- डीजीएफटी अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- इकाई को वि. व्या. म की आयात नीति या राज्य सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के अनुसार, जब भी आवश्यक हो, संबंधित विभागों से आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करनी होगी।

**मद संख्या 3. अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव:-**

**3(i): मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, विकासक**

*सुरेंद्र मलिक*

I/48746/2023

3(i).1 मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-144, नोएडा (यूपी) में आईटी/आईटीईएस के विकासक ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में डिफॉल्ट अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा यथा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में समस्त प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	98.46
II.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशनों, पाइपलाइन संजाल आदि शामिल हैं।	04	58.00
III.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	303.00
IV.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), मल लाइनें, तूफान जल निकासी और उचित क्षमता के जल चैनल।	02	7.00
V.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल स्वयं के उपयोग के लिए	23	20.49
		<b>कुल</b>	<b>486.95</b>

3(i).2 श्री प्रदीप शर्मा, एजीएम और श्री एल.डी. शर्मा, सहायक प्रबंधक, मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि "केवल कैप्टिव उपयोग के लिए पावर (पावर बैकअप सुविधाओं सहित)" के तहत प्रस्तावित वस्तुओं का उपयोग पावर बैकअप सुविधाओं के लिए किया जाएगा।

3(i).3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### मद नंबर 4: शेयरधारिता पैटर्न/निदेशकों में बदलाव की सूचना।

#### 4(i): मेसर्स आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड (इकाई-I और इकाई-II) ।

4(i).1 मेसर्स आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने प्लॉट नंबर 21, सेक्टर टेक जोन-IV, ग्रेटर नोएडा (यूपी) में अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अपनी दो इकाइयों के संबंध में पत्र दिनांक 10.02.2023 द्वारा जारी सैद्धांतिक अनुमोदन का अनुपालन कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न और निदेशकों में बदलाव के लिए सूचना प्रस्तुत की है, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

#### लेन-देन से पहले शेयरधारिता:

शेयरधारकों का नाम	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयर%
<b>प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह:</b>			
डॉ. सतिंदर सिंह रेखी	प्रवर्तक	74,03,456	6.26%
श्रीमती हरप्रीत रेखी	प्रवर्तक	50,99,389	4.31%

*सुरेंद्र मलिक*

शेयरधारकों का नाम	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयर%
सतिंदर और हरप्रीत रेखी फैमिली ट्रस्ट (ट्रस्टी: सतिंदर सिंह रेखी और हरप्रीत रेखी)	प्रवर्तक	1,17,02,623	9.89%
श्री सरताज सिंह रेखी	प्रवर्तक समूह	1,86,76,248	15.79%
श्री रमनीत सिंह रेखी	प्रवर्तक समूह	1,62,36,331	13.72%
श्रीमती अमृता रेखी	प्रवर्तक समूह	100	0.00%
श्रीमती कुलदीप बलदेव सिंह	प्रवर्तक समूह	3,71,908	0.31%
श्रीमती अनिता बहल	प्रवर्तक समूह	3,67,525	0.31%
श्री जगमोहन सिंह वालिया	प्रवर्तक समूह	12,72,389	1.08%
<b>कुल प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह:</b>		<b>6,11,29,969</b>	<b>51.67%</b>
<b>अन्य शेयरधारक</b>	<b>जनता</b>	<b>5,71,73,476</b>	<b>48.33%</b>
	<b>कुल:</b>	<b>11,83,03,445</b>	<b>100.00 %</b>

#### 22.05.2023 को शेयरधारिता के बाद लेनदेन:

शेयरधारकों का नाम	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयर%
बीसीपी एशिया II टॉपको II पीटीई लिमिटेड	प्रवर्तक	6,14,33,005	51.93%
अन्य शेयरधारक	जनता	5,68,70,440	48.07%
	<b>कुल:</b>	<b>11,83,03,445</b>	<b>100.00 %</b>

4(i).2 इकाई ने लेनदेन से पहले और बाद में निदेशकों में बदलाव का विवरण भी प्रस्तुत किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

पिछले निदेशक	लेन-देन के बाद निदेशक
<ol style="list-style-type: none"> <li>डॉ. सतिंदर सिंह रेखी</li> <li>लेफ्टिनेंट जनरल बलदेव सिंह (सेवानिवृत्त)</li> <li>श्री अविराग जैन</li> <li>श्रीमती रुचिका गुप्ता</li> <li>श्री कपिल धमेजा</li> <li>श्री आदित्य वाधवा</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>श्रीमती रुचिका गुप्ता</li> <li>श्री नितेश बनल</li> <li>श्री मुकेश गुलराज मेहता</li> <li>श्री अमित डालमिया</li> <li>श्री अनिमेष अग्रवाल</li> <li>श्री कपिल धमेजा</li> <li>श्री आदित्य वाधवा</li> </ol>

4(i).3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श में वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में, निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन, इसकी दो इकाइयों के संबंध में मेसर्स आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरधारिता पैटर्न और निदेशकों में उपरोक्त परिवर्तनों पर ध्यान दिया गया।

**मद संख्या 5 इकाई के स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने का प्रस्ताव।**

#### 5(i) मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

5(i).1 मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राम इब्राहिमपुर जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर (उ.प्र.) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के स्वीकृति पत्र दिनांक 30.10.2018 में एचएस / एक्जिम कोड के साथ निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

*सुरेंद्र मालिक*

क्रमांक	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी(एचएस)/एक्विम कोड	वस्तु विवरण:	डीजीएफटी आयात/निर्यात नीति
1.	1211	पौधे और पौधों के हिस्से (बीज और फल सहित), मुख्य रूप से सुगंध में, फार्मेसी में या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताजा, ठंडा, जमे हुए या सूखे, चाहे कटे हुए, कुचले हुए या पाउडर वाले हों या नहीं।	
	12112000	जिनसेंग जड़ें	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12115000	एफडरा	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12116000	अफ्रीकी चैरी की छाल (पूनस अफ्रीकाना)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119011	एम्ब्रेटे बीज	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119012	नक्सवोमिका, सूखे पके बीज	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119013	साइलियम बीज (इसोबगुल)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119014	नीम बीज	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119016	गार्सिनिया	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119021	बेलाडोना निकलता है	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119022	सेत्रा की पत्तियाँ और फलियाँ	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119023	नीम की पत्तियाँ	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119024	जिमनेमा	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119025	क्यूब	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119026	पाइरेथ्रम	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119029	अन्य	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119031	कैस्कारा सग्राडा छाल	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119032	साइलियम भूसी (इसोबगुल भूसी)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119033	गैबोगे फल का छिलका	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119034	अशोक (सारका असोका)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119035	अर्जुन (टर्मिनलिया अर्जुन)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119039	अन्य	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119041	बेलाडोना जड़ें	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119042	गलांगल प्रकंद और जड़ें	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119043	इपैकैक सूखे प्रकंद और जड़ें	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119045	जेडोवेरी जड़ें	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119047	सरसापैरिला जड़ें	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119048	मीठे ध्वज प्रकंद	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119049	अन्य	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119051	चंदन के चिप्स और धूल	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119052	विका रसिया जड़ी-बूटियाँ	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119053	टकसाल	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119055	चिराता	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित

सुरेंद्र मलिक

क्रमांक	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी(एचएस) /एक्जिम कोड	वस्तु विवरण:	डीजीएफटी आयात/निर्यात नीति
	12119056	तुलसी, हाईसोप, रोज़मेरी, सेज और नमकीन।	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119057	अश्वगंधा (विथानिया सोम्रीफेरा)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119058	गिलोय (टिनोस्पौरा कॉर्डिफोलिया)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119059	अन्य	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119090	अन्य	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित

5(i).2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के स्वीकृति पत्र में प्रस्तावित वस्तुओं को शामिल करने को मंजूरी दे दी। यह इस शर्त के अधीन है कि आयात और निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध किसी भी वस्तु की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 5(ii) मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट

5(ii).1 मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स ने गांव इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के स्वीकृति पत्र दिनांक 28.12.2018 में एचएस / एक्जिम कोड के साथ निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्रमांक	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी(एचएस) /एक्जिम कोड	वस्तु विवरण:	डीजीएफटी आयात/निर्यात नीति
i.	8807	शीर्षक 8801, 8802 या 8806 के माल के हिस्से	अप्रतिबंधित
ii.	3403	चिकनाई की सामग्री (कटिंग-तेल की तैयारी, बोल्ट या नट रिलीज की तैयारी, जंग-रोधी या जंग-रोधी तैयारी और स्नेहक पर आधारित मोल्ड रिलीज की तैयारी सहित) और कपड़ा सामग्री, चमड़े, फरस्किन या के तेल या ग्रीस उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की तैयारी या अन्य सामग्रियां, लेकिन उन तैयारियों को छोड़कर, जिनमें मूल घटक के रूप में पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेलों का वजन 70 प्रतिशत या उससे अधिक होता है।	अप्रतिबंधित

5(ii).2 मेसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के प्रबंधक-अनुपालन श्री ए.के. सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित वस्तु का निर्यात पोबेडा एयरलाइंस, रूस को किया जाएगा।

5(ii).3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद एचएस कोड 3403 के तहत वस्तुओं को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एचएस कोड 8807 के तहत वस्तुओं के लिए, इकाई को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि इन वस्तुओं का उपयोग सैन्य विमानों के लिए नहीं किया जाएगा।

सुरेंद्र मलिक

**5(iii) मैसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट**

5(iii).1 मैसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स ने ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर (उ.प्र.) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के दिनांक 28.12.2018 के स्वीकृति पत्र में एचएस / एक्जिम कोड के साथ निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

क्रमांक	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी(एचएस) /एक्जिम कोड	वस्तु विवरण:	आयात/निर्यात नीति प्रावधान
i.	8412	अन्य इंजन और मोटर्स	अप्रतिबंधित

5(iii).2 मैसर्स वर्धमान कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के प्रबंधक-अनुपालन श्री ए.के. सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित वस्तु का निर्यात पोबेडा एयरलाइंस, रूस को किया जाएगा।

5(iii).3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के स्वीकृति पत्र में उपरोक्त वस्तुओं को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

**मद संख्या 6. इकाई के क्षेत्र विस्तार हेतु प्रस्ताव:-****6(i) मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई-XII)**

6(i).1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद 2304.36 वर्गमीटर क्षेत्र को जोड़कर क्षेत्र के विस्तार के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई-XII) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस अतिरिक्त क्षेत्र में तीसरी मंजिल (भाग), सॉफ्टवेयर ब्लॉक, टावर-2 पर 357.49 वर्गमीटर, तीसरी मंजिल (भाग), एसडीबी-II, टावर-3 पर 370.31 वर्गमीटर, दूसरी मंजिल (भाग), एसडीबी-II पर 225.85 वर्गमीटर, टावर-3, 5वीं मंजिल पर 359.07 वर्गमीटर (भाग), एसडीबी-वी, टावर-6, तीसरी मंजिल पर 363.62 वर्गमीटर (भाग), एसडीबी-वी, टावर-6 और चौथी मंजिल पर 628.02 वर्गमीटर (भाग), एसडीबी -वी, टावर-6 शामिल हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई, जो प्लॉट नंबर 3ए, 3बी और 2सी, सेक्टर-126, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है, का संशोधित निर्यात/निवल विदेशी मुद्रा अनुमान इस प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

विवरण (5 वर्ष के लिए)	मौजूदा अनुमान	संशोधित अनुमान
निर्यात का अनुमानित एफओबी मूल्य	55237.66	133461.47
विदेशी मुद्रा निकासी	4114.30	2254.76
एनएफई आय	51123.36	130106.71
आयातित पूंजीगत सामान	2919.57	2919.57
स्वदेशी पूंजीगत सामान	2603.78	2603.78
आयातित इनपुट सेवाएं	435.19	435.19
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	20604.29	20604.29

**6(ii) मैसर्स मैसर्स इनादेव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।**

सुरेंद्र मलिक

I/48746/2023

6(ii).1 मेसर्स इनादेव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्लॉट नंबर 21, टेकज़ोन IV, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अर्थ इफ़्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई में 12वीं मंजिल, टावर-1 पर 1414.34 वर्गमीटर क्षेत्र 'जोड़कर क्षेत्र के विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

- 6(ii).2 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मामले में कुछ टिप्पणियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं: -
- इकाई को 23.11.2023 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। हालाँकि, इकाई ने बांड-सह-कानूनी उपक्रम निष्पादित नहीं किया। बांड-सह-कानूनी उपक्रम के निष्पादन न होने के कारण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  - स्वीकृति पत्र जारी होने के छह महीने की अवधि के भीतर पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रति जमा नहीं की गई, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(2)(ii) के अनुसार आवश्यक थी।
  - इकाई को श्री चिकेश जैन, एएम अकाउंट्स के पक्ष में बोर्ड प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिन्होंने इकाई से प्राप्त ईमेल में प्रस्ताव के संबंध में कुछ प्रस्तुतीकरण/स्पष्टीकरण दिया है।

6(ii).3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद 12वीं मंजिल, टावर-1 पर '1414.34 वर्गमीटर क्षेत्र' जोड़कर क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन पैरा 6(ii)2 में बताए गए उपरोक्त अनुपालनों की पूर्ति के अधीन है।

### मद संख्या 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 का अनुपालन न करने के संबंध में कार्यसूची:-

#### 7(i): मेसर्स टू द न्यू प्राइवेट लिमिटेड

7(i).1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद समिति ने कार्यसूची नोट की सामग्री पर ध्यान दिया और टॉवर 2 में अपने परिसर के संबंध में इकाई द्वारा पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत न करने को माफ करने का निर्णय लिया।

#### 7(ii): मेसर्स अगामी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

7(ii).1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने इकाई द्वारा पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत न करने को माफ करने का निर्णय लिया।

#### अनुपूरक कार्यसूची मद:-

1. इकाई के स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने का प्रस्ताव।

#### 1(i). मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

1(i).1 मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राम इब्राहिमपुर जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर (उ.प्र.) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के स्वीकृति पत्र दिनांक 30.10.2018 में एचएस / एक्जिम कोड के साथ निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्रमांक	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी(एचएस) /एक्जिम कोड	वस्तु विवरण:	डीजीएफटी आयात/निर्यात नीति
i.	8211	काटने वाले ब्लेड वाले चाकू, दाँतेदार या नहीं (कांट-छाँट करने वाले चाकू सहित),	

सुरेंद्र मालिक

क्रमांक	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी(एचएस)/एक्ज़िम कोड	वस्तु विवरण:	डीजीएफटी आयात/निर्यात नीति
		शीर्ष 82.08 के चाकू और उनके ब्लेड के अलावा।	
	82111000	मिश्रित लेखों के सेट	अप्रतिबंधित
	82119100	निश्चित ब्लेड वाले टेबल चाकू	अप्रतिबंधित
	82119200	अन्य:- स्थिर ब्लेड वाले अन्य चाकू	अप्रतिबंधित
	82119310	पॉकेट चाकू	अप्रतिबंधित
	82119390	अन्य	अप्रतिबंधित
	82119400	ब्लेड	अप्रतिबंधित
	82119500	आधार धातु के हैंडल	अप्रतिबंधित

2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित वस्तुओं के लिए लागू आयात/निर्यात नीति के अधीन, इकाई के स्वीकृति पत्र में प्रस्तावित वस्तुओं को शामिल करने को मंजूरी दे दी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

*सुरेंद्र मलिक*

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

*ए. बिपिन मेनन*

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त